Dr Nishat Khan (1) LL.B II sem 27/04/20
The constitution of India

प्रश्न — उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यतायें विहित की गई हैं? उन्हें पद पर किस प्रकार से नियुक्ति किया जा सकता है। तथा किसी प्रकार हटाया जा सकता है?

What qualification have been prescribed for appointment to the Post of the Judge of the Supreme Court? How can they be appointed and removed from their office?

उत्तर:

न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिये योग्यता
(Qualification for appointment to the post of the Judge)

अनु० 124 (3) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्याधीश के पद पर नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए–

1. वह भारत का नागरिक हो;
2. वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश रह चुका हो; या
3. किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता (Advocate) रहा हो; या
4. वह, राष्ट्रपति की राय में एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो।

नियुक्ति की प्रक्रिया
(Procedure for appointment)

अनु० 124 (3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किन्तु इस मामलें में राष्ट्रपति को विवेकपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है। अनु० 124 (3) उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् जिसे इस प्रयोजन के लिये वह आवश्यक समझे, ही करेगा।

इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति केवल औपचारिक शक्ति है। वास्तव में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

एस० सी० एडवोकेटस ऑन रिकार्ड ऐसासियेशन बनाम भारत संघ (1993) 4 S.C.C. 44 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के मामले में सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त है परन्तु अन्तिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ही होगा। आगे अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति होगी।

इन री प्रेसीडेन्सियल रिफरेन्स AIR 1999 S.C. 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, की नियुक्ति के मामले में 1993 के निर्णय में प्रतिपादित प्रक्रिया का पालन किये बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सिफारिश देनी चाहिए। अनु० 124 (2) में उल्लेखित परामर्श शब्द का तात्पर्य अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है।

न्यायाधीशों की पदावधि:- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। आयु का निर्धारण संसद द्वारा अभिनिर्धारित प्राधिकारी करेगा। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुए

हस्ताक्षर सहित अपने पद से हटने का त्याग पत्र दे सकता है।

न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना
(Removal of Judge from his office)

अनु० 124 (4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से महा अभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महा अभियोग केवल दो आधारों पर लगाया जा सकता है ये आधार निम्नलिखित है–

1. सिद्ध कदाचार (Proved Misbehavior)
2. असमर्थता (Incapacity)

किसी न्यायाधीश को महा अभियोग द्वारा हटाये जाने के लिए एक समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होने पर वह समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जायेगा। राष्ट्रपति द्वारा इस पर आदेश करने के साथ ही उसे हटा दिया जायेगा। संसद में ऐसा समावेदन एक ही सत्र में पारित होना चाहिए।

के० वीरास्वामी बनाम भारत संघ, (1991) 3 S.C.C. 665 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1947 लागू होता है और उसके अधीन अपराधों के लिये उन पर अभियोजन चलाया जा सकता है। वर्तमान में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर भ्रष्टाचार अधिनियम, 1908 लागू है।

सब कमेटी आन जूडीशियल एकाउंटेबिलिटी बनाम भारत संघ (1991) 4 S.C.C. 699 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाहै कि नवीं लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने वाला संकल्प लोक सभा के भंग हो जाने से निरसित नहीं हो जाता है और दसवीं लोक सभा इस पर कार्यवाही कर सकती है।

प्रश्न [redacted]: 'उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है' इस कथन की व्याख्या कीजिए।

'Supreme Court is the Court of Record' Explain this statement.

उत्तर:

उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय की अधिकारिता
(Jurisdiction of Supreme Court as a court of Record)

अनु० 129 उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और उसे अपने अवमान के लिये दण्डित करने की शक्ति सहित, ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ भी प्रदान करता है।

अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह होता है कि उसके अभिलेख प्रामाणिक (authoritative) माने जाते हैं और वे सुरक्षित रखे जाते हैं और उसके निर्णयों को नजीरों (precedent) के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों के सामने पेश किया जाता है। इन नजीरों से अधीनस्थ न्यायालय बाध्य होते हैं।

अभिलेख न्यायालय को स्वयं अपनी प्रकृति में निहित, अपने अवमान के लिये किसी वरिष्ठ को दण्ड देने की शक्ति प्राप्त होती है फिर भी अनु० 129 अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिये 'न्यायालय अवमान अधिनियम 1971' भी पारित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय, अवमान, मामले की प्रकृति के अनुसार, दो प्रकार का–(1) दीवानी अवमान, (2) फौजदारी अवमान, होता है और उसके लिये 6 माह तक के कारावास की सजा या 2000 रूपये तक जुर्माना की सजा या दोनों सजायें दी जा सकती हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अपने न्यायालयों के अवमान के लिये दण्डित किया जा सकता है।

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य AIR 1991 S.C. 2177 के मामले में गुजरात राज्य के नाडियाद नगर में सितम्बर, 25, 1989 को एक ऐसी घटना घटी जो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता पर एक प्रश्नचिन्ह लगाती है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जो किसी मुकदमे के सम्बन्ध में गुजरात राज्य के नाडियाद तहसील के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पटेल से नाराज थे, उनको गिरफ्तार करके मारा–पीटा और बलपूर्वक शराब पिलाई और हथकड़ी लगाकर तथाकथित आरोप लगाकर कि उन्होंने राज्य के कानून के उल्लंघन में शराब का सेवन किया था, की जाँच के लिये पैदल अस्पताल ले गये। पुलिस इन्सपेक्टर ने इसी दशा में उनकी फोटो खिंचवाई जो देश भर के समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुई। इस दुर्घटना से न्यायपालिका की गरिमा को बहुत गहरा आघात पहुँचा। अनेक अधिवक्ता संघों ने इन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिये अनु० 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने घटना की जाँच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री सहाय को नियुक्त किया जिन्होंने उक्त अधिकारियों को दोषी पाया और दण्ड देने की सिफारिश की। इन अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय अनु० 129 के अन्तर्गत केवल अपनी अवमानना के लिये दण्ड दे सकता है किसी अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिये दण्ड नहीं दे सकता है। केवल उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के तर्क को अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि एक उच्च (Superior) न्यायालय में अपने अधीनस्थ तथा निम्न न्यायालयों की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दण्डित करने की ऐसी शक्ति अन्तर्निहित रहती है। उच्चतम न्यायालय ने 6 पुलिस अधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए कारावास का दण्ड दिया।

एस० सी० बार ऐसोशियेशन बनाम भारत संघ AIR 1998 S.C. 1895 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनु० 129 के तहत न्यायालय की अवमानना के लिये दण्डित करने की शक्ति विस्तृत है परन्तु प्रक्रिया के अधीन है।

प्रश्न [illegible] : भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।

Discuss the original Jurisdiction of the Supreme Court.

उत्तर:

उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकारिता
(Original Jurisdiction of the Supreme Court)

अनु० 131 निम्नलिखित विवादों के सम्बन्ध में अनन्य रूप से उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है–

1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, या

2. भारत–सरकार तथा कोई राज्य या कोई राज्य एक ओर, और एक या अधिक राज्य दूसरी ओर, के बीच कोई विवाद, या

3. दो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद।

किन्तु यह तभी जब कि ऐसे किसी विवाद में ऐसा कोई प्रश्न, चाहे विधि का प्रश्न हो या तथ्य का प्रश्न हो, अन्तर्ग्रस्त हो, जस पर किसी विधिक अधिकार (legal right) का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो। परन्तु यह कि, कथित क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद तक न होगा, जो किसी ऐसी संधि, करार प्रसंविदा, वचनबद्ध,सनद या अन्य ऐसे ही किसी लिखत से उत्पन्न हुआ हो जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले ही निष्पादित किया जा चुका हो, और और इस संविधान के लागू होने के बाद भी प्रवर्तन में हो, या जो यह उपबन्ध करता हो कि ऐसे क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय **कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, AIR 1978 S.C. 68** का अच्छा दृष्टान्त है। इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने जॉच–आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के मुख्य मंत्री और कुछ अन्य मन्त्रियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, पक्षपात और सरकारी शक्तियों के दुरूपयोग के आरोपों की जॉच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने की एक अधिसूचना जारी किया था। कर्नाटक राज्य (वादी) ने, अनु० 131 के अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करके इस अधिसूचना को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दिया–

(1) जॉच आयोग अधिनियम, 1952 केन्द्रीय सरकार को उन विषयों पर जॉच–आयोग बैठाने का प्राधिकार प्रदान नहीं करता जो राज्य की विधायिनी एवं कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत आते हैं।

(2) अधिसूचना संविधान की संघात्मक प्रकृति पर, जो संविधान का मूल तत्व है, आघात करती है। सरकार का तर्क यह था कि यह वाद अनु० 131 के अन्तर्गत दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जॉच मुख्यमन्त्री और अन्य मन्त्रियों के विरूद्ध है न कि राज्य के विरूद्ध। और यह कि, जॉच आयोग से संविधान के संघात्मक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार की प्रारम्भिक आपत्ति मान्य नहीं है। राज्य और राज्य–सरकार के अन्तर के आधार पर वाद अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्य–सरकार का दावा राज्य का दावा होता है, राज्य की शक्तियों का प्रयोग मन्त्रीगण ही करते हैं, राज्य व्यक्तियों के माध्यम से ही कार्य करता है, मन्त्रियों के कार्य राज्य के कार्य हैं, इसलिये वाद दायर किये जाने योग्य है। किन्तु वादी का तर्क इसलिये मान्य नहीं है, क्योंकि जॉच–आयोग अधिनियम 1952 के अधीन केन्द्र सरकार को लोक महत्व के मामलें में जॉच करने के लिये जॉच–आयोग बैठाने की शक्ति प्राप्त है। मन्त्रियों का आचरण, जो वे अपने पद से सम्बन्धित कार्यों के निर्वहन में करते हैं, धारा 3 के अधीन एक निश्चित लोक महत्व का विषय है। इसलिये जॉच–आयोग की स्थापना के लिए जारी की गई अधिसूचना विधिमान्य है।

मूल अधिकारों से सम्बन्धित मामले अनु० 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

किन्तु निम्नलिखित विवाद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं–

(1) इस संविधान से पहले किये गये या निष्पादित किये गये ऐसी कोई संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबन्ध, सनद या अन्य ऐसे ही लिखत, जो संविधान लागू होने के बाद भी प्रवर्तन में रहे हैं,। (अनु० 262)

(2) के अन्तर्गत संसद, कानून बनाकर, किसी अन्तर्राज्यीय नदी या नदी–घाटी के, या उसके पानी के प्रयोग, वितरण या नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित किसी विवाद को उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है,। (अनु० 280)

(3) के अन्तर्गत वित्त–आयोग को सौंपे गये विषय से सम्बन्धित विवाद(अनु० 290) और ,

(4) के अन्तर्गत संघ तथा राज्य के बीच कतिपय खर्चों के समायोजन सम्बन्धी विवाद।

प्रश्न [illegible] : भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझाइए।

Explain the Appealate Jurisdiction of the Supreme Court.

उत्तरः

उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
(Appealate Jurisdiction of Supreme Court)

उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित चार प्रकार से हैं–

(1) संवैधानिक मामले (Constitutional Cases),

(2) दीवानी मामले (Civil Cases),

(3) फौजदारी मामले (Criminal Cases), और

(4) विशेष अनुमति से अपील।

1. संवैधानिक मामले (Constitutional Cases):-अनु० 132 के अन्तर्गत, किसी भी दीवानी, फौजदारी या 'अन्य कार्यवाही' में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि वह उच्च न्यायालय, अनु० 134- क के अन्तर्गत, यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में संविधान के निर्वचन से सम्बन्धित कोई सारवान विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

'अन्य कार्यवाही' के अन्तर्गत मालसम्बन्धी कार्यवाही और आयकर अधिनियम या बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियॉ भी शामिल हैं। इसलिये यह क्षेत्राधिकार अत्यन्त विस्तृत है।

2. दीवानी मामलों में अपील (Appeal in Civil Cases):-अनु० 133 के अन्तर्गत सिविल मामलों में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि वह उच्च न्यायालय, अनु० 134 - क के अन्तर्गत, निम्नलिखित दो बातें प्रमाणित कर दे–

(1) यह कि मामले में सार्वजनिक महत्व का कोई सारवान विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, और

(2) यह कि उच्च न्यायालय की राय में कथित प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।

3. फौजदारी मामलों में अपील (Appeal in Criminal Cases):- अनु० 134 के अन्तर्गत फौजदारी मामलों में भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय, अन्तिम आदेश या दण्डादेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने :

(1) अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष-मुक्ति (acquittal) के आदेश को उलट दिया और उसे मृत्यु-दण्ड दिया है, या

(2) किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को परीक्षण के लिये अपने पास बुला लिया है और ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध करते हुये मृत्यु-दण्ड दिया है, या

(3) अनु० 134- क के अन्तर्गत यह प्रमाणित कर दियाहै कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने के लिये उपयुक्त हैं।

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्रः- संविधान (44 वॉं संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद 134- क संवैधानिक मामलों में अनु० 132 के अन्तर्गत, दीवानी मामलों में अनु० 133 के अन्तर्गत और फौजदारी मामलों में अनु० 134 के अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिये अपेक्षित उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण-पत्र के लिये यह उपबन्धित करता है।

4. विशेष अनुमति से अपील (Appeal by special leave):- अनु० 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय, अपने स्वविवेक से, भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी वाद या विषय में पारित किये गये किसी भी निर्णय, डिक्री अभिनिश्चय, दण्डादेश या आदेश के विरूद्ध अपील करने की विशेष अनुमति मंजूर कर सकता है।

किन्तु उपर्युक्त उपबन्ध, किसी ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा, जो सशस्त्र बलों (सेनाओं) से सम्बन्धित किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित हुआ हो, पारित किसी निर्णय, अभिनिश्चय, दण्डादेश या आदेश को लागू नहीं होंगे।

अनु० 136 के अन्तर्गत अपील करने की विशेष अनुमति मंजूर करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति बहुत विस्तृत है, किन्तु वह उसके स्वविवेक के अधीन भी है। इसलिये यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति के पक्ष में अपील करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सामान्यतः उच्चतम न्यायालय न तो

(1) तथ्य सम्बन्धी समवर्ती निष्कर्षो (Concurrent inferences) में हस्तक्षेप करता है, जब तक कि कोइ विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हुई हो, जैसे विधिक प्रक्रिया का अनादर या नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लघन या सारवान या गम्भीर अन्याय होने की आशंका,

(2) और न साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन ही करता है, जब तक कि उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई गम्भीर त्रुटि न हो, जिसके कारण मामले में न्याय न हो पाया हो,

अनु० 136 के अन्तर्गत किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा (अर्थात् जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है) भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बंगाल AIR 1955 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि "यह एक विशिष्ट तथा अभिभावी शक्ति है और इसे बहुत कम तथा सावधानी के साथ विशेष एवं असाधारण परिस्थिति में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी सुनिश्चित सूत्र या नियम के द्वारा उसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है।"